राजस्व अपील संख्या : 98/2024
उनवान : देवीसिंह बनाम तहसीलदार सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 98/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/546

अपीलाण्ट्स :–		रेस्पोडेण्ट्स :–
देवीसिंह पुत्र भूरसिंह जाति पुरोहित निवासी पराखिया तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.	बनाम	तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर के प्रकरण संख्या 25/2024 सरकार जरिये हल्का पटवारी नेतरा बनाम देवीसिंह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता अमृत परिहार उपस्थित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 04.06.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर के प्रकरण संख्या 25/2024 सरकार जरिये हल्का पटवारी नेतरा बनाम देवीसिंह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 को निरस्त करवाने हेतु पेश की गई। अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पराखिया तहसील सुमेरपुर में सिवायचक कृषि भूमि खसरा नम्बर 192 क्षेत्रफल 4.20 हैक्टेयर स्थित है जिस पर अपीलार्थी सहित कई व्यक्तियों का लम्बी अवधि से कब्जा रहा है, जो कब्जा काबिल नियमन होने के बावजुद बरंजिशवश एवं राजनैतिक कारणों से अपीलार्थी व अन्य काबिज व्यक्तियों को बेदखल करने, व्यक्तिगत क्षति करने के नापाक उदेश्य से तत्कालीन सरपंच ने दिनांक 11.10.2020 को ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव संख्या 67 के जरिये उक्त भूमि में से 3 हैक्टेयर भूमि राजकीय कार्यालयों के भवनों हेतु आरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव पारित करवाया था। जिसके आधार पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 98/2024

उनवान : देवीसिंह बनाम तहसीलदार सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

कालान्तार में प्रार्थी व अन्य काबिज व्यक्तियों को भौतिक तौर से बेदखल किये बिना उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर ने आदेश क्रमांक/प्र.ग्रा. के संग/राजस्व/2013/1098 दिनांक 16.04.2013 को 3.00 हैक्टेयर आरक्षित रखे जाने का प्रशासन गांवो के संग अभियान/2013 कैम्प नेतरा में पारित किया गया जिसकी पालना में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया जिसके तहत आरक्षित भूमि के तरमीमी खसरा नम्बर 192/4 क्षेत्रफल 3 हैक्टेयर किये गये है।

अपीलार्थी एवं अन्य काबिज व्यक्तियों द्वारा उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के आदेश दिनांक 16.04.2013 के विरुद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में प्रस्तुत की जो आज भी लम्बित है। अपील अवधि के दौरान अपीलार्थी व अन्य काबिज व्यक्तियों को बेदखल नहीं किये जाने हेतु स्थगन आदेश प्राप्त करने हेतु भी आवेदन प्रस्तुत किया था। जो स्थगन याचिका दिनांक 26.06.2023 को खारिज की गयी, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व अन्य काबिज व्यक्तियों द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी याचिका प्रस्तुत की थी, जो निगरानी/एल.आर./3462/2023 जिला पाली देवीसिंह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश आदेश दिनांक 13.07.2023 के तहत अपीलार्थी व अन्य व्यक्तियों को बेदखल नहीं किये जाने हेतु, मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में लम्बित अपील के अन्तिम निस्तारण तक पारित किया है। स्थगन आदेश दिनांक 13.07.2023 में लिपिकीय भूल होने से संशोधित आदेश 15.05.2024 को पारित किया गया। उक्त स्थगन आदेश आज दिन तक प्रभावी होने के बावजुद अपीलार्थी को बेदखल किये जाने हेतु धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में रेस्पोडेण्ट ने मुकदमा दर्ज किया जिसकी तारीख पेशी 24.07.2024 को थी। अपीलार्थी (गैर सायल) द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 13.07.2023 एवं संशोधित आदेश 15.05.2024 की प्रतिया पूर्व में रेस्पोडेण्ट को दे रखी थी इसके बावजुद रेस्पोडेण्ट ने अपीलार्थी को कहा की हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है अन्य पत्रावलियों में गैर सायलान के हस्ताक्षर करवा दिये है एवं मौखिक रुप से यह कहा गया कि पूर्व में जारी स्थगन आदेश द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की पालना में कार्यवाही की जायेगी एवं गैर सायल को दिनांक 01.08.2024 को आने को कहा। अपीलार्थी दिनांक 01.08.2024 को तहसील कार्यालय सुमेरपुर में उपस्थित होने पर जानकारी हुई की अपीलार्थी के पीठ के पीछे अपीलार्थी को बेदखल किये जाने, जुर्माना आरोपित करने का आदेश दिनांक 24.07.2024 को पारित किया गया है। जिस पर अपीलार्थी ने पत्रावली की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया एवं नकले प्राप्त की। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अपीलार्थी की उक्त अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेण्ट के द्वारा पारित जैर अपील आलोच्य आदेश दिनांक 24.07.2024 को निरस्त फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 98 / 2024

उनवान : देवीसिंह बनाम तहसीलदार सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया वक्त बहस रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकतरफा बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के दौरान निवेदन किया गया कि न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण संख्या 3462 / 2023 में अपीलाण्ट के पक्ष में प्रश्नगत खसरा संख्या 192 / 4 में मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति का आदेश दिनांक 13.07.2023 यथासंशोधित आदेश दिनांक 15.05.2024 बज़तरफ रेस्पोडेण्ट पारित करने के उपरांत भी रेस्पोडेण्ट तहसीलदार द्वारा उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए जैर अपील आलोच्य बेदखली आदेश दिनांक 24.07.2024 पारित किया है, जो काबिल खारिज है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने मियाद के बिन्दु पर निवेदन किया कि अपीलार्थी को उक्त बेदखली आदेश दिनांक 24.07.2024 की जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 01.08.2024 को प्राप्त होने पर हुई तथा 29.08.2024 को अपील पेश कर दी गई। अतः अपील मियाद शुमार घोषित करवाते हुए प्रश्नगत बेदखली आदेश को अपास्त फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष की बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा विलम्ब हेतु प्रस्तुत युक्तियुक्त कारण एवं प्रतिकार में ऐसा कोई तथ्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को मियाद शुमार घोषित किया जाता है।

हस्तगत अपील का गुणावगुण आधार पर विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा हल्का पटवारी नेतरा की रिपोर्ट पर अपीलाण्ट के विरुद्ध खसरा न. 192 / 4 मौजा पराखिया में अतिक्रमण के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दिनांक 08.07.2024 को प्रकरण दर्ज करते हुए दिनांक 24.07.2024 को बेदखली आदेश पारित किये। हल्का पटवारी की अतिक्रमण रिपोर्ट के अवलोकन से ज़ाहिर होता है कि पटवारी रिपोर्ट में कोई नज़री नक्शा संलग्न नहीं किया गया है, जिस आधार पर यह स्पष्ट हो सके कि खसरा संख्या 192 / 4 कुल रकबा 3.00 हैक्टेयर में अपीलाण्ट का अतिचार किस दिशा में अर्थात कहाँ स्थित है।

2. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलाण्ट का यह तर्क भी सिद्ध होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा ज़ैर अपील आलोच्य आदेश दिनांक 24.07.2024 न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना में जारी किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 98/2024

उनवान : देवीसिंह बनाम तहसीलदार सुमेरपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

माननीय न्यायालय, राजस्व मण्डल ने प्रकरण संख्या 3462/2023 बउनवान देवीसिंह वगैरह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 13.07.2023 यथासंशोधित दिनांक 15.05.2024 के द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट एवं तहसीलदार सुमेरपुर को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में लम्बित अपील के निस्तारण तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया गया था। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेज दिनांक 27.05.2025 से ज़ाहिर होता है कि न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा उक्त राजस्व अपील संख्या 02/2023 अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 28.02.2025 को निर्णीत करते हुए उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि को सरकारी भवनों हेतु आरक्षित करने के आदेश दिनांक 16.04.2013 को अपास्त किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दिनांक 13.07.2023 से दिनांक 28.02.2025 तक प्रवृत्त था। मौके की यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश प्रभावी होते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ज़ेर अपील प्रकरण में आदेशाधीन भूमि से अपीलाण्ट के विरुद्ध आलोच्य निर्णय दिनांक 24.07.2024 से बेदखली के आदेश पारित किए गए, जो कि शीर्षस्थ राजस्व अदालत के स्थगन आदेश की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में आता है और इस आधार पर निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त वजूहातों के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत एवं मौजा पराखिया के खसरा संख्या 192/4 के संबंध में पारित बेदखली आदेश दिनांक 24.07.2024 को अपास्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को पुनप्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा राजस्व अपील प्रकरण संख्या 02/2023 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 28.02.2025 के आलोक में अपीलाण्ट को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उचित निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक **04.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner